

193

Entry

334

S B P

319

2

श्री अनिल सिन्हा, प्रमाण-पत्र पदाधिकारी, अंबाद का न्यायालय

457

प्रमाणपत्राद सं 191/2000-2001

मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक, सिन्धो ब्रांच

ने श्री रमन पाठक पिता लीकम पाठक

ग्राम सिन्धी जिला केलि गांधी

घेन बाद से 1003=00 स्पष्टा को वसूलो हेतु अध्याचन पत्र दाखर किया है। इसमें संलग्न विवरणों के प्रत्येक से स्पष्ट होता है कि वह भाग वसूलो योग्य है। इसको वसूलो विधि वर्जित नहीं है। लोक भाग वसूलो अधिनियम को धारा 5 के अंतर्गत में संलग्न है। इसे पंजी 10 में दर्ज करें। अध्याचन पदाधिकारी ने कोर्ट फीस 758=00 स्पष्टा का दाखल किया है।

धारा 7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें। अभिलेख दिनांक 3-8-03 को प्रस्तुत करें।

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी, अंबाद।

28/3/03

अभिनेता उपस्थित
साथ-नमा सूचना का नाममात्र प्राप्त हो कायमि दाखल
कले की साक्षात् सीमा साक्षात् हो-रुकी है।
देनदार की अनुपस्थिति से
स्पष्ट होगए कि देनदार की मंशा वकाले राशि जमा
कले की नहीं हो।
वकाले राशि जमा कले हेतु
देनदार को नोडिश दे।

दिनांक 16.6.03 को रखा

प्रमाण-पत्र

5/08/2003

12.7.02

604/28/03

12.6.06

कमिसेन लेना-नापिन।
देनदार के अकेले से शिरोजमा
करने संबंधित बाबत कोई भी चीज नहीं
है। पत्र सुझाव शिरोजमा बरकरार रखें।
श/म विगल करें।

दिनांक 12.7.06 को रखें।
390310

9/10
189
2016

12/12/2010

कमिसेन लेना-नापिन। देनदार के द्वारा बैंक के
माहाना से लेना-नापिन राशि नया कर बैंक के
द्वारा लेना-नापिन प्रकल्प-मात्र प्रकल्प दिया गया है,
कमिसेन से बैंक के बकाया की मात्रा है
12.12.2010
कमिसेन लेना-नापिन
श/म विगल करें।